फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

प्रभातीलाल बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट . मुकदमा नम्बर 83 सन् 2021

| हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.02.2021 को पेश हो। | |
| 26/2/21 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. के अन्य कार्यों में व्यस्थ हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/3/21 को पेश हो। | |
| 9/3/021 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनु0। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने सहखातेदारान श्रवणीय व मुख्तारनामा का शपथ पत्र पेश किया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15/3/2021 को पेश हो। | अं0 भूरा<br>अं0नि0 प्रार्थी<br>हस्ताक्षर |
| 15/03/2021 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम प्रभातीलाल पुत्र भूरा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम भाताराम पुत्र भूरा दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत बिहारीपुर का | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kum
Date: 2021.03.29 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना ([illegible])

प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम प्रभातीलाल पुत्र भूरा है, प्रार्थी ने सह खातेदारान श्रवण देवी पुत्री हणमान जाति अहीर एवं मूलाराम पुत्र भूरा जाति अहीर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान श्रवण देवी पुत्री हणमान जाति अहीर एवं मूलाराम पुत्र भूरा जाति अहीर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भाताराम पुत्र भूरा अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम प्रभातीलाल पुत्र भूरा है की पुष्टि ग्राम पंचायत बिहारीपुर का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदारान के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 436, 485 एवं 449 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **भाताराम पुत्र भूरा** के स्थान पर **प्रभातीलाल पुत्र भूरा** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh
Date: 2021.03.29 17:57:27
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)